भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1353

शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय बाजार स्थलों में नकली और जाली माल की बिक्री

1353 श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:
श्री राजमणि पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी '2020 रिव्यू ऑफ नोटोरियस मार्केट्स फॉर काउन्टरफीटिंग एंड पायरेसी' का संज्ञान लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि ई-कॉमर्स साइट सहित चार भारतीय बाजार स्थलों का उल्लेख जाली और नकली माल भी बिक्री करने वाले बदनाम बाजारों की सूची में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय इस रिव्यू में सामने आए मामलों के समाधान के लिए कदम उठा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 2016 से ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म पर बेचे जा रहे नकली और जाली माल कितनी मात्रा में जब्त किए/पकड़े गए और उनका मौद्रिक मूल्य कितना है, तत्संबंधी वर्ष-वार और प्लैटफॉर्म-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (ग): अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा 14 जनवरी, 2021 को जारी रिव्यू ऑफ नोटोरियस मार्केट्स फॉर काउन्टरफीटिंग एंड पायरेसी (नोटोरियस मार्केट लिस्ट) संबंधी रिपोर्ट का उद्देश्य, अमरीकी कंपनियों और उपभोक्ताओं की चिंताओं का समाधान करना है। भारत सरकार की ऐसी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की कोई बाध्यता नहीं है तथा यह सूचित किया जाता है कि जालसाजी व नकल के ऐसे खतरों से निपटने के लिए भारत में मजबूत कानूनी और न्यायिक व्यवस्था मौजूद है। जालसाजी के विरुद्ध प्रवर्तन को सुदृढ़ करने तथा मजबूत कानूनी निवारक उपायों के निर्माण के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं।

आईपी संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) ने उद्योग की चिंताओं पर बेहतर और समन्वित प्रतिक्रिया देने के लिए पुलिस, सीमा शुल्क और न्यायपालिका हेतु 100 से अधिक प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अलावा, गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य पुलिस अकादमियों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वे नियमित और सेवारत पुलिस अधिकारियों के लिए अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आईपीआर को शामिल करें। इस प्रयोजन के लिए फिक्की के साथ मिलकर आईपीआर प्रवर्तन टूलकिट बनाई है ताकि आईपी संबंधी अपराधों, विशेष रूप से ट्रेडमार्क जालसाजी और कॉपीराइट चोरी से निपटने में पुलिस अधिकारियों की सहायता की जा सके। ऑनलाइन चोरी से निपटने के लिए, सीआईपीएएम ने भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (एनआईएक्सआई) और महाराष्ट्र साइबर एंड डिजिटल क्राइम यूनिट (एमसीडीसीयू) के साथ मिलकर कार्य किया, ताकि अपूर्ण केवाईसी (या डब्ल्यूएचओआईएस मानदंडों) के आधार पर 380 से अधिक उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को निलंबित किया जा सके। कानूनी निवारक उपायों के निर्माण के अलावा, उपभोक्ताओं को असली उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने तथा उन्हें नकली व जाली उत्पादों को खरीदने के परिणाम के बारे में जानकारी देने के लिए बड़ी संख्या में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(घ): ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले नकली और जाली सामान की मात्रा और मूल्य से संबंधित ऐसा कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता।

*****